एम.ए.सी.पी. संख्या ४६३/२०१९
१. श्रीमती फूलवती पत्नी स्व. रमेश उम्र ४८ वर्ष (पत्नी)
२. सन्तोष पुत्र स्व. रमेश उम्र २६ वर्ष (पुत्र)
३. राजेन्द्र पुत्र स्व. रमेश उम्र १९ वर्ष (पुत्र)
निवासीगण ग्राम बरल थाना चिरगाँव जिला झाँसी, उ.प्र.

-------याचीगण

प्रति

१. हृदेश कुार पुत्र सन्तोष कुमार निवासी वेद नगर मोंठ थाना मोंठ जिला झाँसी उ.प्र.
.........मालिक कार नं. यू.पी. ९३ जेड १६५१
२. राहुल कुमार साहू पुत्र सन्तोष कुमार साहू निवासी मोंठ थाना मोंठ जिला झाँसी
...........चालक कार नं. यू.पी. ९३ जेड १६५१
३. दि न्यू इण्डिया इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड लि. पता कचहरी चौराहा, झाँसी जिला झाँसी उ.प्र.
...........बीमा कम्पनी कार कार नं. यू.पी. ९३ जेड १६५१

------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री दीपक श्रीवास्तव
विपक्षी सं. २ के अधिवक्ता- श्री अरूण कुमार गुप्ता
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री सुनील कुमार शुक्ला

०१.११.२०२०

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याचीगण व उनके विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. ३ दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायाधिकरण में उपस्थित आये ।

याचीगण व विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा १५बी पर याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। १५बी सुलहनामा उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। १५बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ५,००,००० याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा १५बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा १५बी में दर्शित कुल ₹ ५,००,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा १५बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा १५बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा १५बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ ५,००,००० (पांच लाख) भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. ३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.एस.सी. सं. PUNB ०३६७१०० में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से अंतरित कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov. in पर भेजी जाएगी। याचीगण क्रमशः मृतक की पत्नी व पुत्रगण हैं। अतः उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचीगण सं. १, २ व ३ क्रमशः ४०, ३०, व ३० % भाग प्राप्त करेंगे। याची सं. १ लगायत ३ को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि में से प्रत्येक याची २५-२५ प्रतिशत भाग आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त करेंगे तथा शेष ७५-७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति धनराशि की याचीगण के नाम ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जाएगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.01 14:17:06 IST
Reason: Presiding officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi